न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 208/2024 अनवान सौरभ बिश्नोई बनाम कमलकिशोर वगैरा

दिनांक 17.10.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 07/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.06.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–कमलकिशोर ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील लोहावट के ग्राम लोहावट बिश्नावास स्थित खसरा नं0 2621/163 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि का संपरिवर्तन से पूर्व पैमाईश फर्द दिनांक 21.3.24 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसमें तहसीलदार लोहावट से प्राप्त रिपोर्ट एवं पडौसी खसरान के खातेदार यथा ख0नं0 163/10–तेजपाल, ख0नं0 163/3044 व 163–सत्यनारायण की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लोहावट को पैमाईश फर्द दिनांक 21.3.24 के मुताबिक पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस मे अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त खसरान के चिपते मूल ख0नं0 163 के भाग ख0नं0 163/9 का रेकर्डेड खातेदार है। वक्त पैमाईश अपीलार्थी को सूचना दिये बिना एक तरफा तैयार करवायी गई है व स्वयं के परिवार की भूमि को पडौसी खातेदार मानते हुए सहमति के आधार पर आदेश पारित करवा लिया। अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निरस्त कर, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया।

रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील निस्तारित करने हेतु प्रस्तुत कर, उसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट की अपील का मुख्य आधार यह है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाये जाने से सुनवाई का अवसर नही मिला। अतः रेस्पो0–प्रार्थी अपीलांट की मौजूदगी में वादग्रस्त खसरान की पैमाईश करवाकर दोनो पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधोनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करवाना चाहता है, अतः अपील रिमाण्ड करने का आग्रह किया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर दोनो पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट को पक्षकार नही बनाये जाने से उन्हे सुनवाई का अवसर नही मिला। स्वयं रेस्पो0–प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपीलांट की मौजूदगी में वादग्रस्त खसरान की पैमाईश करवाने तथा दोनो पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक 17.10.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। अधीनस्थ कार्यालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

17.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर